न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(1) 223RTA2022-082(GCMS2022-195)

1. भीकसिंह पुत्र कुन्दनसिंह राजपूत
2. मनोहरसिंह पुत्र कुन्दनसिंह राजपूत
   निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामान-
   1.1. हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.2. मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.3. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.4. सम्पतकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत
   1.5. सागरकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत
   1.6. अन्तरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत
   निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा,
   जिला जोधपुर
2. नरपतसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
3. हवाकंवर पुत्री हरीसिंह राजपूत
4. सायरकंवर पत्नी हरीसिंह राजपूत
5. गोरधनसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
6. मदनकंवर पत्नी भैरूसिंह राजपूत
7. दलपतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत
8. परबतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत
9. पूरणकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
10. शोभाकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
11. देसूकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
12. मोहनकंवर पत्नी जबरसिंह राजपूत
13. छैलकंवर पुत्री जबरसिंह राजपूत
14. कैलाशकंवर पुत्री जबरसिंह राजपूत
15. अशोकसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

16. भागीरथसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
17. सरोजकंवर पुत्री गुलाबसिंह राजपूत
18. कालुसिंह पुत्र माधुसिंह के कायममुकामान-
    18.1. भारतसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.2. देवीसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.3. हीरसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.4. छैलूकंवर पुत्री कालुसिंह राजपूत
    18.5. भंवरकंवर पत्नी कालुसिंह राजपूत
19. किशोरसिंह पुत्र माधुसिंह राजपूत
20. अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के कायममुकामान-
    20.1. जितेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
    20.2. महिपालसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
    20.3. दयालकंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत
21. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
22. भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह के कायममुकामान-
    22.1. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
    22.2. मांगुकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत
    22.3. प्रेमकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत
    22.4. कंचनकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत
23. गंगासिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
24. धनसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
25. शम्भुसिंह उर्फ शिम्भुसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
    निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
26. इन्द्रसिंह उर्फ पोलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
27. मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
28. गणपतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
29. रतनसिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत
30. लालसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
31. छोटूसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
32. चैनसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
33. शम्भुसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

34. मदनकंवर पत्नी गोपालसिंह राजपूत
    निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
35. नेनाराम पुत्र मुगनाराम सुथार
36. मंगलाराम पुत्र शेषाराम नाई
37. पारसराम पुत्र भंवरलाल सुथार
38. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
39. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
40. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
41. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल सुथार
42. राजेश पुत्र भंवरलाल सुथार
43. मिश्रीदेवी पत्नी भंवरलाल सुथार
    निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
44. कुनाराम पुत्र लालुराम सुथार
45. घनश्याम पुत्र पुखराज सुथार
    निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
46. भूमि विकास बैंक लि. जरिये प्रबन्धक
    भूमि विकास बैंक शाखा कार्यालय बिलाडा
    जिला जोधपुर
47. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बिलाडा
    जिला जोधपुर
48. एस.बी.आई. जरिये प्रबन्धक
    शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
49. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
    जरिये प्रबन्धक
    शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
50. विजया बैंक जरिये प्रबन्धक
    शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
51. मरूधरा ग्रामीण बैंक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

जरिये प्रबन्धक, शाखा बिलाडा
जिला जोधपुर

52. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा सोजतसिटी, जिला पाली

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 20 फरवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 19/2008 भंवरसिंह व अन्य बनाम इन्द्रसिंह इत्यादि

----

(2) 223RTA2022-082(GCMS2022-195)

1. भीकसिंह पुत्र कुन्दनसिंह राजपूत
2. मनोहरसिंह पुत्र कुन्दनसिंह राजपूत
निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामान-
   1.1. हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.2. मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.3. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
   1.4. सम्पतकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत
   1.5. सागरकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत
   1.6. अन्तरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत
   निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा,
   जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

2. नरपतसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
3. हवाकंवर पुत्री हरीसिंह राजपूत
4. सायरकंवर पत्नी हरीसिंह राजपूत
5. गोरधनसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
6. मदनकंवर पत्नी भैरूसिंह राजपूत
7. दलपतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत
8. परबतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत
9. पूरणकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
10. शोभाकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
11. देसूकंवर पुत्री भैरूसिंह राजपूत
12. मोहनकंवर पत्नी जबरसिंह राजपूत
13. छैलकंवर पुत्री जबरसिंह राजपूत
14. कैलाशकंवर पुत्री जबरसिंह राजपूत
15. अशोकसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
16. भागीरथसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
17. सरोजकंवर पुत्री गुलाबसिंह राजपूत
18. कालुसिंह पुत्र माधुसिंह के कायममुकामान-
    18.1. भारतसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.2. देवीसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.3. हीरसिंह पुत्र कालुसिंह राजपूत
    18.4. छैलूकंवर पुत्री कालुसिंह राजपूत
    18.5. भंवरकंवर पत्नी कालुसिंह राजपूत
19. किशोरसिंह पुत्र माधुसिंह राजपूत
20. अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के कायममुकामान-
    20.1. जितेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
    20.2. महिपालसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
    20.3. दयालकंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत
21. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
22. भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह के कायममुकामान-
    22.1. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
    22.2. मांगुकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत
    22.3. प्रेमकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

22.4. कंचनकंवर पुत्री कल्याणसिंह राजपूत
23. गंगासिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
24. धनसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
25. शम्भुसिंह उर्फ शिम्भुसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत
निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर
26. इन्द्रसिंह उर्फ पोलसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
27. मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
28. गणपतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
29. रतनसिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत
30. लालसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
31. छोटूसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
32. चैनसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
33. शम्भुसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत
34. मदनकंवर पत्नी गोपालसिंह राजपूत
निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर
35. नेनाराम पुत्र मुगनाराम सुथार
36. मंगलाराम पुत्र शेषाराम नाई
37. पारसराम पुत्र भंवरलाल सुथार
38. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
39. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
40. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल सुथार
41. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल सुथार
42. राजेश पुत्र भंवरलाल सुथार
43. मिश्रीदेवी पत्नी भंवरलाल सुथार
निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर
44. कुनाराम पुत्र लालुराम सुथार
45. घनश्याम पुत्र पुखराज सुथार
निवासीगण जैतीवास, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

46. भूमि विकास बैंक लि. जरिये प्रबन्धक
भूमि विकास बैंक शाखा कार्यालय बिलाडा
जिला जोधपुर
47. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बिलाडा
जिला जोधपुर
48. एस.बी.आई. जरिये प्रबन्धक
शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
49. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
जरिये प्रबन्धक
शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
50. विजया बैंक जरिये प्रबन्धक
शाखा बिलाडा, जिला जोधपुर
51. मरूधरा ग्रामीण बैंक
जरिये प्रबन्धक, शाखा बिलाडा
जिला जोधपुर
52. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा सोजतसिटी, जिला पाली

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 16 सितम्बर 2019 राजस्व वाद संख्या 19/2008 भंवरसिंह व अन्य बनाम इन्द्रसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नितिन ओझा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 48
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 47

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 21 अक्टूबर 2024

राजस्व अपील प्राधिक
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2008 भंवरसिंह व अन्य बनाम इन्द्रसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 20 फरवरी 2019 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 सितम्बर 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपीलें दिनांक 16 मई 2022 को प्रस्तुत की है। प्रत्येक अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 25 भंवरसिंह आदि की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 (वर्तमान अपीलों में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या 26 से 34) एक ही हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य होना एवं ग्राम जैतीवास के निम्नलिखित खसरा नम्बरान की भूमि उनकी सहखातेदारी की होना जाहिर किया-

1. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 323 के खसरा संख्या - 54 से 59, 64, 65, 915, 1209, 1210, 1212, 1226, 1227, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1392, 1402, 1116, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1200, 1202, 1204, 1208, 1229, 1412, 1413, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, **1425,** 1426, 1427, 60, 63, 147, 917, 918, 1054, 1055, 1056, 1057, 1122, 1124, 1125, 1129 से 1137, 1139 से 1143, 1235, 1246, 1247, 1248,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

1367, 1117, 1197, 1203, 1205, 1211, 1388, 1391, 1393, 1401 व 1415 कुल 89 खसरान की 536 बीघा 17 बिस्वा भूमि;

2. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1242, 146, 149, 152, 153, 155, 870, 1244, 1289, 1379, 1380 व 1378 कुल 12 खसरान की 59 बीघा 19 बिस्वा भूमि;
3. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 297 के खसरा संख्या 1375 व 1376 की कुल 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि;
4. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 249 के खसरा संख्या 1375 की 5 बीघा भूमि,
5. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या **62** के खसरा संख्या 1365 व 1366 की 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि,
6. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 103 के खसरा संख्या 1220, 1223, 1225, 1241, 1221, 1222, 1224 कुल 7 खसरान मय 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि,
7. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 148, 150, 1551, 154, 1052, 1053, 1290, 1291, 1377, 1382 व 1383 कुल 11 खसरान की 73 बीघा 10 बिस्वा भूमि,
8. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 212 के खसरा संख्या 61 की 09 बिस्वा भूमि,
9. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 295 के खसरा संख्या 62 की 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि,
10. राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 398 के खसरा संख्या 1381 की 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि,

वादपत्र के पद संख्या 2 में उक्त आराजियात में पक्षकारान के हिस्से वर्णित करते हुए वादीगण-रेस्पो. ने तदनुसार खातेदारी अधिकारों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद बाद आवश्यक कार्यवाही दिनांक 20 फरवरी 2019 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 16 सितम्बर 2019 को निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2019 व निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 16 सितम्बर 2019 के खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से अदालत हाजा के समक्ष यह दोनों अपीलें खसरा संख्या 1365, 1366 एवं 1425 बाबत प्रस्तुत की गयी है। जिनके पक्षकारान, वादग्रस्त आराजियात एवं विषय-वस्तु समान होने से इन दोनों अपीलों का उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि ग्राम जैतीवास स्थित आराजी खसरा संख्या 1365 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 1366 रकबा 2 बीघा भंवरसिंह, हरिसिंह, भैरूसिंह, गोरधनसिंह, गुलाबसिंह, जबरसिंह पिसरान रामसिंह ½ हिस्सा तथा इन्द्रसिंही, मोहनसिंह, गणपतसिंह पिसरान शिवनाथसिंह तथा रसालकंवर पत्नी शिवनाथसिंह 1/12 हिस्सा, गोपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 1/12 हिस्सा, महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह 1/36 हिस्सा, भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह 1/36 हिस्सवा, गंगासिंह, धनसिंह, शिम्भुसिंह पिसरान सवाईसिंह 1/12 हिस्सा, और किशोरसिंह पुत्र माधोसिंह 1/24 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। इसी प्रकार ग्राम जैतीवास स्थित आराजी खसरा संख्या 1425 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा भंवरसिंह, हरीसिंह, भैरूसिंह, गोरधनसिंह, गुलाबसिंह, जबरसिंह पिसरान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

रामसिंह का रहा है। वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 25 की ओर से आराजी खसरा संख्या 1365 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 1366 रकबा 2 बीघा में वादीगण संख्या 1 से 6 का ⅛ हिस्सा, वादीगण संख्या 7 व 8 का ⅛ हिस्सा, वादीगण संख्या 9 से 11 का ⅛ हिस्सा, वादीगण संख्या 11 का ⅛ हिस्सा, वादीगण संख्या 12 से 14 का ⅛ हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का ½ हिस्सा एवं आराजी खसरा संख्या 1425 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण का ⅛ हिस्सा जाहिर करते हुए विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके विचाराधीन रहते हुए दिनांक 30 मई 2001 को राजीनामा पेश किया गया। जो दिनांक 03 नवम्बर 2011 को तस्दीक किया गया। दिनांक 5 नवम्बर 2001 को विचारण न्यायालय में वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। वाद की कार्यवाही के दौरान वादीगण संख्या 1 से 17, 19 व 21 से 25 ने खसरा संख्या 1365, 1366 व 1425 की भूमि में से अपने-अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख अपीलाण्ट्स के पिता कुन्दरसिंह के पक्ष में दिनांक 26 अगस्त 2002 को कर दिया गया। उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 1347 केता के पक्ष में स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर दिया गया। इस प्रकार उक्त बेचान के बाद वादीगण संख्या 1 से 17, 19 व 21 से 25 का कोई हक-हिस्सा खसरा संख्या 1365, 1366 व 1425 की भूमि में नहीं रहता है, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। जो न्यायोचित नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नही हो पायी, आलौच्य अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने के करीब 15 दिन पूर्व वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 25 द्वारा मौके पर अपीलाण्ट्स की उक्त क्रयसुदा एवं कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन दखल करने का प्रयास किया गया और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्वयं के पक्ष में होना बताया गया, तब अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकलें आदि लेकर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है। जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 48 एवं राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 47 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26 अगस्त 2002 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1365 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 1366 रकबा 2 बीघा में विक्रेतागण भंवरसिंह, हरीसिंह, भैरूसिंह, गोरधनसिंह, गुलाबसिंह, जबरसिंह पिसरान रामसिंह (½ हिस्सा), इन्दरसिंह, मोहनसिंह, गणपतसिंह पिसरान शिवनाथसिंह सहित श्रीमती रसालकंवर पत्नी शिवनाथसिंह (1/12 हिस्सा), गोपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह (1/12 हिस्सा), महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह (1/36 हिस्सा), भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह (1/36 हिस्सा), गंगासिंह, धनसिंह, शिम्भुसिंह पिसरान सवाईसिंह (1/12 हिस्सा), किशोर सिंह पुत्र माधोसिंह (1/12हिस्सा) और खसरा संख्या 1425 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में विक्रेतागण भंवरसिंह, हरीसिंह, भैरूसिंह, गोरधनसिंह,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

गुलाबसिंह, जबरसिंह पिसरान रामसिंह का ¼ हिस्सा बतौर सहखातेदार दर्शाते हुए अपने-अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का केता कुन्दनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के पक्ष में राशि ₹ 70,000/- प्रतिफल लेकर बेचान किया गया है। जाहिर है कि उक्त बेचान के बाद आराजी खसरा संख्या 1365, 1366 व 1425 वाके ग्राम जैतीवास में इन विक्रेतागण का कोई हक-हिस्सा निहित नहीं रहता है।

उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख के अनुसरण में केता के पक्ष में म्युटेशन संख्या 1347 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया और अपील स्तर पर प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065-2068 में आराजी खसरा संख्या 1365 व 1366 बाबत कुन्दनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह का 67/72 हिस्सा तथा खसरा संख्या 1425 बाबत कुन्दनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह का ⅛ हिस्सा व म्युटेशन संख्या 1347 के संदर्भ से ⅛ अर्थात ¼ हिस्सा भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। इन खसरा नम्बरान की भूमि बाबत उक्त जमाबंदी में इन विक्रेतागण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। इस प्रकार आलौच्य मामले में ग्राम जैतीवास स्थित आराजी खसरा संख्या 1365 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 1366 रकबा 2 बीघा भूमि में 67/72 वां हिस्सा तथा खसरा संख्या 1425 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में ⅛ हिस्सा व म्युटेशन संख्या 1347 के संदर्भ से ⅛ अर्थात ¼ हिस्सा होना प्रकट होता है।

इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2019 तथा निर्णय में समस्त आराजियात में किस पक्षकार का कितना हिस्सा बनता है, इस बाबत कोई विवरण अंकित नहीं किया गया और आराजी खसरा संख्या 1425 बाबत कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। इसके बाद विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी दिनांक 16 सितबर 2019 पारित करते हुए अपीलाण्ट्स भीकसिंह व मनोहरसिंह पिसरान कुन्दनसिंह को मात्र खसरा संख्या 1425 में मात्र 1 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि ही दी गयी तथा उक्त विकेतागण में से निम्नलिखित विकेतागण को इन खसरा नम्बरान में निम्नानुसार भूमि बंट में दी गयी है-

विकेतागण की वाद में बतौर पक्षकार स्थिति	नाम विकेता/पक्षकार	विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाइनल डिकी में दी गयी भूमि (बीघा.बिस्वा.बिस्वांसी)		
		ख.1365	ख.1366	ख.1425
वादी सं. 5	जबरसिंह पिसरान रामसिंह	0.15.10		0.15.10
प्रतिवादी सं. 1	इन्दसिंह	1.02.10		
प्रतिवादी सं. 2	मोहनसिंह	1.05.10		0.15.10
प्रतिवादी सं. 3	गणपतसिंह पिसरान शिवनाथसिंह			0.08.10
प्रतिवादी सं. 5	गोपसिंह (गोपालसिंह) पुत्र सुल्तानसिंह (1/12 हिस्सा) जरिये वारिसान	0.05.00	1.01.00	1.04.00
वादी सं. 10	महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह (1/36 हिस्सा)	0.02.10	0.19.00	0.19.00
वादी सं. 8	किशोर सिंह पुत्र माधोसिंह (1/12हिस्सा)	0.09.10		

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रश्न है, प्रकरण गुणावगुण पर सारवान प्रकट होता है, अतः समय-समय पर विभिन्न प्रकरणो में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा धारित सिद्धान्त के अनुरूप न्यायहित में मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु बाबत नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223RTA2022-082(GCMS2022-195)

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 20 फरवरी 2019 तथा उसके अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव तलब कर तदनुसार पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 सितम्बर 2019 ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा स्थित आराजी खसरा संख्या 1365, 1366 एवं 1425 के संबंध में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और उक्त खसरा संख्या 1365, 1366 एवं 1425 वाके ग्राम जैतीवास के संबंध में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 20 फरवरी 2019 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 सितम्बर 2019 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इन खसरान की भूमि के विभिन्न सहखातेदारान द्वारा अपीलाण्ट्स के पिता के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 26 अगस्त 2002 व उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1347 व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में किये गये अमल-दरादम के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर इन खसरा संख्या 1365, 1366 एवं 1425 वाके ग्राम जैतीवास के संबंध में पुनः विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर